# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **जयपुर में सी.जी.एस.टी. विभाग के सुपरिंटेंडेंट एवं इन्सपेक्टर 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *31 जनवरी, मंगलवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज जयपुर में कार्यवाही करते हुये रामनिवास सिरोवा सुपरिंटेंडेंट एवं एवं शैलेन्द्र कुमार इन्सपेक्टर, सी.जी.एस.टी. रेंज–13, विश्वकर्मा इन्डस्ट्री एरिया, जयपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक)** ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी ऑनलाईन गारमेंट बिजिनेस फर्म का टी.सी.एस. का बकाया 62 हजार रुपये भुगतान करने की एवज में **5 हजार रूपये** रिश्वत राशि एवं सी.जी.एस.टी. इनपुट का सर्विस टैक्स बकाया राशि करीब 10 लाख रुपये का भुगतान करने की एवज में **50 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर रामनिवास सिरोवा सुपरिंटेंडेंट एवं शैलेन्द्र कुमार इन्सपेक्टर, सी.जी.एस.टी. रेंज–13, विश्वकर्मा इन्डस्ट्री एरिया, जयपुर द्वारा परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की सीकर इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री राजेश जांगिड़** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर मय टीम के आज जयपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामनिवास सिरोवा पुत्र श्री गणपत राम सिरोवा निवासी 50, निर्मल विहार, बैनाड़, जयपुर हाल सुपरिंटेंडेंट, सी.जी.एस.टी. रेंज–13 एवं शैलेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्यामलोचन चौधरी निवासी 2/3–बी, सेक्टर–9, विधाधरनगर, जयपुर हाल इन्सपेक्टर, सी.जी.एस.टी. रेंज–13, विश्वकर्मा इन्डस्ट्री एरिया, जयपुर को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक)** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।